न्यायालय–आकांक्षा कत्याल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चांचौडा जिला गुना (म.प्र)

/ /निर्णय / /

(आज दिनांक **15.04.2024** को घोषित किया गया)

Registration No - RCT.583/2022
C.N.R.No - MP08070014952022
Filling No - 1325/2022
Filling Date - 19-10-2022

पुलिस थाना–चॉचौडा, जिला–गुना के अपराध क्र. 374/2022 अंतर्गत धारा–294, 323, 506, 34 भा.द.सं. 1860 से उद्भूत प्रकरण।

परिवादी :– म.प्र. राज्य द्वारा पुलिस थाना चॉचौडा, जिला गुना म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा :– श्री जितेन्द्र दांगी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी।
अभियुक्त :– **1.** तखतसिंह पुत्र रामनारायण मीना, आयु 69 वर्ष,
2. बृजकिशोर पुत्र चैनसिंह मीना, आयु 35 वर्ष,
निवासीगण ग्राम सांबलपुरा, थाना चॉचौडा, जिला गुना म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा :– श्री कौशलेन्द्र मीना अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	10.09.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	10.09.2022
आरोप–पत्र की तारीख	19.10.2022
आरोपों की विरचना की तारीख	10.03.2023
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	08.08.2023
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	12.04.2024
निर्णय की तारीख	15.04.2024
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	–

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है।	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दंप्रसं के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	तखतसिंह मीना	–	19.10.22	धारा 294, 323/34, 506 भाग 2 भा.द.स.	दोषमुक्त	–	निरंक

2	बृजकिशोर मीना	—	19.10.22	धारा 294, 323 / 34, 506 भाग 2 भा.द.स.	दोषमुक्त	—	निरंक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.1	कदम सिंह	फरियादी
अ.सा.2	अनुराधा	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.3	सीमा बाई	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.4	डॉ. ट्विन विश्वास	चिकित्सीय साक्षी
अ.सा.5	अशोक कुमार	विवेचना अधिकारी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	**नाम**	साक्ष्य की प्रकृति
निरंक		

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	**नाम**	साक्ष्य की प्रकृति
निरंक		

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी 1 / अ.सा.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी. 2 / अ.सा.1	नक्शामौका
3	प्रदर्श पी. 3 / अ.सा.4	मेडीकल रिपोर्ट
4	प्रदर्श पी 4 / अ.सा.5	जप्ती पत्रक

ख. प्रतिरक्षा :

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक		

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निरंक	

घ. आवश्यक वस्तुए :

सं.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
	निरंक	

01. अभियुक्तगण तखतसिंह मीना एवं बृजकिशोर मीना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग 2 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक 10.09.2022 को दोपहर लगभग 12.00 बजे ग्राम सांबलपुरा चॉचौडा स्थित फरियादी के घर के सामने फरियादी कदमसिंह मीना को सार्वजनिक स्थल पर अश्लील शब्द गालियां उच्चारित कर उसे क्षोभ कारित किया, उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी कदमसिंह मीना की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी कदमसिंह मीना की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की तथा उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.09.2022 को दोपहर 1:00 बजे फरियादी कदमसिंह ने चौकी बीनागंज में उपस्थित होकर मौखिक होकर सूचना की कि दिन के 12:00 बजे वह अपने मक्का के खेत पर मवेशी भगा रहा था, उक्त मवेशी बृजकिशोर मीना तथा तखतसिंह मीना के थे। इतने में दोनों अभियुक्तगण उसके घर के सामने आ गये और उसे मादरचोद बहनचोद की बुरी–बुरी गाली देने लगे। उसने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त बृजकिशोर ने उसे एक कुल्हाडी मारी जो उसके माथे में सामने लगी। अभियुक्त तखतसिंह ने एक लट्ठ मारा जो उसके बायें गाल में लगकर चोट आयी। दोनों कह रहे थे कि मादरचोद तूने मेरी गाय भगायी तो जान से खत्म कर देंगे। घटना के समय उसकी पत्नि सीमा एवं अनुराधा थी जिन्होंने घटना देखी एवं बीच बचाव किया। फरियादी द्वारा प्रदत्त उपरोक्त मौखिक सूचना के आधार पर आरक्षी केंद्र चॉचौडा में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 374/2022, अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भा.दं.सं. पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। आहत की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की गई। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को धारा 41–क दं.प्र.सं. का सूचनापत्र दिया गया। समस्त अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण पर धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग–2 भा. दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित कर उन्हें पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। उन्होंने

उक्त अपराध कारित करने से इंकार किया एवं विचारण की मांग की। धारा 313 द.प्र.सं. के अन्तर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा ली कि वे निर्दोष हैं, जमीन से निकलने को लेकर रास्ते का विवाद होने से अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04. प्रकरण के न्यायोचित निराकरण के लिये विचारणीय बिंदु निम्नानुसार हैं :–

(i)- क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 10.09.2022 को दोपहर लगभग 12.00 बजे ग्राम सांबलपुरा, चॉचौडा स्थित फरियादी के घर के सामने फरियादी कदमसिंह मीना को सार्वजनिक स्थल पर मॉ बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे क्षोभ कारित किया ?

(ii)- क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी कदमसिंह मीना की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी कदमसिंह मीना की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

(iii)- क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरणः–

05. अभिलेख पर आई साक्ष्य की प्रकृति, तथ्यों की परस्पर संबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति निवारित करने हेतु उपरोक्त विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

06. उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में फरियादी कदम सिंह (अ0सा0–1) ने कथन किया है कि वह अभियुक्तगण बृजकिशोर और तखतसिंह मीना को जानता है। घटना उसकी साक्ष्य दिनांक 05.12.2023 से लगभग डेढ वर्ष पूर्व ग्राम सांबलपुरा की दोपहर लगभग 11:00–12:00 बजे की है। उस दिन उसकी मक्का में अभियुक्त बृजकिशोर भैंस चरा रहा था तो उसने बोला कि उसकी फसल में भैंस मत चरा। इसी बात को लेकर अभियुक्त बृजकिशोर ने उसे कुल्हाडी की उल्टी तरफ से सिर में मारा, फिर अभियुक्त तखतसिंह आया और उसे पीठ में ईट से मारा। दोनों अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के समय उसकी पत्नि सीमाबाई (अ.सा.3) और भतीजी अनुराधा (अ.सा.2) आ गयी थी जिन्होंने उसे बचाया था। उसने उपरोक्त घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 चौकी बीनागंज में लेखबद्ध करायी थी, जिसके ए से ए

भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर नक्शामौका प्रदर्श पी 2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी किये जाने के उपरांत दिये गये इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दोनों अभियुक्तगण ने उसे गालियां दी थी जो कि उसे सुनने में बुरी लग रही थी।

07. प्रश्नगत घटना की चक्षुदर्शी साक्षी अनुराधा (अ.सा.2) ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण को चेहरे से जानती है, नाम से नहीं जानती है। फरियादी कदम सिंह उसके फूफाजी हैं। घटना उसकी साक्ष्य दिनांक 05.12.2023 से लगभग एक वर्ष पूर्व ग्राम सांबलपुरा की उसके फूफाजी के घर के सामने की है। दोनों अभियुक्तगण सुबह लगभग 10:00–11:00 बजे उसके फूफाजी के घर पर गाली गलौच करने आये थे। फिर अभियुक्त बृजमोहन ने उसके फूफाजी कदमसिंह को सिर में कुल्हाडी से मारा था जिससे उनके सिर में चोट आयी थी। इसके बाद उसके फूफाजी कदम सिंह मीना और बुआ सीमा मीना थाने पर केस करने चले गये थे। फूफाजी के रिपोर्ट करने के बाद भी अभियुक्तगण उनके घर के सामने गाली गलौच कर रहे थे। वह घटना के समय घर के अंदर थी तथा गाली गलौच की आवाज सुनकर वह और उसकी बुआ दोनों घर से बाहर आ गये थे। उक्त साक्षी ने अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी किये जाने के उपरांत दिये गये इस सुझाव को स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने उसके फूफाजी कदमसिंह को जान से मारने की धमकी दी थी।

08. फरियादी/आहत कदम सिंह की पत्नी सीमा बाई (अ.सा.3) ने कथन किया है कि वह अभियुक्तगण बृजकिशोर एवं तखतसिंह को जानती है। प्रश्नगत घटना उसकी साक्ष्य तिथि 12.12.2023 से एक वर्ष पूर्व सांबलपुरा की दिन के 12:00 बजे की है। उनकी मक्का में मवेशी चराने की बात को लेकर अभियुक्त तखतसिंह ने उसके पति कदम सिंह को ईट से मारा था तथा अभियुक्त बृजकिशोर ने कदमसिंह को कुल्हाडी से मारा था जिससे उनकी आंख के ऊपर सिर में चोट आयी थी। दोनों अभियुक्तगण उसके पति को गंदी–गंदी गाली दे रहे थे। उसने और अनुराधा ने घटना के दौरान बीच बचाव किया था।

09. चिकित्सीय साक्षी डॉ. ट्विन विश्वास (अ.सा.4) ने कथन किया है कि वह दिनांक 10.09.2022 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चॉचौडा में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना चॉचौडा से आरक्षक प्रेमसिंह द्वारा लाये जाने पर उसने आहत कदम मीना (अ.सा.1) का मेडीकल परीक्षण किया था। आहत की बायीं आंख के उपर फटा हुआ घाव जिसका आकार 1 गुणा 1 से.मी., बायें गाल पर दो तीन दांत से काटने के निशान एवं कमर में दर्द था। उक्त चोटें किसी सख्त एवं भौथरी वस्तु से कारित होना तथा परीक्षण के समय से 06 घंटे के भीतर आना प्रतीत होती थी। उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी। तत्संबंध में उसके द्वारा तैयार की गयी एम.एल.सी. रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. विवेचना अधिकारी अशोक कुमार (अ.सा.5) ने कथन किया है कि वह दिनांक 11.09.2022 को चौकी बीनागंज में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना चॉचौडा के अपराध क्रमांक 374/2022 धारा 323, 294, 506, 34 भा.द.स. की केसडायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल पर जाकर नक्शामौका प्रदर्श पी 2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने साक्षीगण कदम सिंह, सीमा, अनुराधा के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। तत्पश्चात अभियुक्त बृजकिशोर मीना से पंचान साक्षियों के समक्ष एक लोहे की कुल्हाडी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 4 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य को चुनौती देते हुए अंतिम तर्क के प्रक्रम पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किये गए कि फरियादी एवं अभियुक्तगण की जमीन पास–पास होकर अभियुक्तगण द्वारा फरियादी की भूमि की मेड पर से निकलने के कारण दोनों पक्षों का विवाद है। इस संबंध में अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी के विरूद्ध थाने पर आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था, जिसकी रंजिशवश फरियादी ने अभियुक्तगण को हस्तगत प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया है। अभियोजन साक्षीगण के कथनों में अनेक विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्ति के पात्र हैं।

12. बचाव पक्ष द्वारा ली गई उपरोक्त विशिष्ट प्रतिरक्षा के बिन्दु पर फरियादी कदम सिंह (अ.सा.1) को प्रतिपरीक्षण में प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण अपनी बाडी पर जाने के लिए उसकी भूमि की मेड से होकर निकलते हैं। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रश्नगत घटना की रिपोर्ट लिखाने जब वह चौकी पर गया था, तो उससे पहले अभियुक्तगण पहुंच गये थे। उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने उसके विरूद्ध आवेदन दिया था, जिसमें यह आरोप लगाया था कि वह अभियुक्तगण को रास्ते से निकलने नहीं देता है और फसल का नुकसान करता है, किन्तु इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि यदि अभियुक्तगण उसके विरूद्ध आवेदन पत्र नहीं देते तो वह भी उनके विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध नहीं कराता। फरियादी के उपरोक्त कथनों से यह तथ्य स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य भूमि की मेड से निकलने के मार्ग को लेकर विवाद विद्यमान है। तब अभियोजन साक्षीगण के कथनों का सूक्ष्मतापूर्वक मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

13. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.–1 में अंर्तविष्ट तथ्यों के अनुसार फरियादी अपने खेत पर से अभियुक्तगण के मवेशी भगा रहा था तो अभियुक्तगण ने उसके घर के सामने आकर उससे गालीगलोंच की। वही इसके विपरीत फरियादी कदम सिंह (अ.सा.1) न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान कथन करता है कि उसके मक्का के खेत में अभियुक्त बृजकिशोर भैसें चरा रहा था और उसने बृजकिशोर को उसकी फसल में भैसें चराने से मना किया तो अभियुक्तगण ने उसके साथ गालीगलौंच और मारपीट की। इसी अनुक्रम में अवलोकनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.–1 में अंर्तविष्ट तथ्यों के अनुसार

अभियुक्त बृजकिशोर द्वारा कुल्हाडी मारने से फरियादी के माथे में सामने चोट होकर खून निकल आया तथा अभियुक्त तखतसिंह ने उसे लठ मारा, जो उसके बांये गाल में लगकर चोट आयी। वही प्रश्नगत घटना में कारित चोटों के संदर्भ में फरियादी की न्यायालयीन साक्ष्य का अवलोकन किये जाने पर दर्शित होता है कि फरियादी कदम सिंह (अ.सा.1) ने अभियुक्त बृजकिशोर द्वारा उसे कुल्हाडी की उल्टी तरफ से मारकर सिर में चोट पहुंचाना एवं अभियुक्त तखतसिंह द्वारा उसे ईंट मारकर पीठ में चोट पहुंचाना व्यक्त किया है, जिसका समर्थन फरियादी की पत्नी सीमाबाई (अ.सा.3) ने भी किया है। फरियादी ने अभियुक्त तखतसिंह द्वारा उसे लठ मारकर चोट पहुंचाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है और न ही उक्त साक्षी ने प्रश्नगत घटना में उसे गाल पर कोई चोट आना प्रकट किया है। साक्षीगण अनुराधा (अ.सा.2) एवं सीमाबाई (अ.सा.3) ने भी अभियुक्त तखत सिंह द्वारा फरियादी को लठ मारकर गाल पर चोट पहुंचाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है।

14. इस संदर्भ में चिकित्सक डॉ. ट्विन विश्वास (अ.सा.–4) की साक्ष्य भी महत्वपूर्ण है, जिसने फरियादी/आहत कदम सिंह का मेडिकल परीक्षण किये जाने पर उसकी बांयी आंख पर फटा हुआ घाव एवं बांयी गाल पर दो–तीन दांत के काटने के निशान पाया जाना व्यक्त किया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष का यह सुझाव स्वीकार किया है कि आहत को गाल पर काटने की चोट किसी वयस्क पुरूष द्वारा नहीं पहुंचायी गयी थी। स्वयं फरियादी कदम सिंह अथवा अन्य किसी साक्षी ने भी यह कथन नहीं किया है कि प्रश्नगत घटना में दोनों में से किसी अभियुक्त द्वारा फरियादी को दांत से काटकर गाल पर चोट पहुंचाई गई थी, जबकि इसके विपरीत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के अनुसार अभियुक्त तखतसिंह द्वारा लठ मारने से फरियादी के बांये गाल पर चोट आयी थी। इस संदर्भ में फरियादी कदमसिंह (अ.सा.1) के प्रतिपरीक्षण का पद कमांक 3 भी अवलोकनीय है, जिसमें उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने न्यायालयीन साक्ष्य में एक अभियुक्त द्वारा उल्टी कुल्हाडी से मारना एवं दूसरे अभियुक्त द्वारा ईंट से मारना बताया है, यही बात उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में लेखबद्ध कराई थी और उसने उसी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे, जिसमें उल्टी कुल्हाडी एवं ईंट से मारने वाली बात लिखी हुई थी, इसके अलावा किसी अन्य रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। इस प्रकार प्रश्नगत घटना में कारित चोटों एवं प्रयुक्त आयुध के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास होना प्रकट होता है।

15. अभियोजन के मामले के अनुसान प्रश्नगत घटना फरियादी के घर के सामने की है, किन्तु इसके विपरीत न्यायालयीन साक्ष्य में फरियादी कदमसिंह (अ.सा.1) एवं उसकी पत्नी सीमाबाई (अ.सा.3) ने प्रश्नगत घटना उनके मक्के के खेत की बताई है, जबकि इसके विपरीत साक्षी अनुराधा ने प्रश्नगत घटना फरियादी के घर के सामने की होना बतायी है। साक्षी सीमाबाई ने प्रतिपरीक्षण में भी इस तथ्य पर स्थिर रहते हुये बचाव पक्ष का सुझाव स्वीकार किया है कि वह जो भी घटना बता रही है वह मक्का के

खेत पर ही हुई थी। फिर अपने कथनों में सुधार करते हुये कथन किया है कि लडते–लडते अभियुक्तगण मक्का के खेत पर से घर पर आ गये थे। यद्यपि उक्त साक्षी यह भी कथन करती है कि उनके खेत एवं घर के बीच लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है। इस संदर्भ में नक्शामौका प्रदर्श पी–2 का परिशीलन किये जाने पर फरियादी के मकान के आसपास कहीं भी खेत स्थित होना रेखांकित नहीं किया गया है। इस प्रकार घटनास्थल के बिन्दु पर भी साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास होना दर्शित होता है।

16. अभियोजन द्वारा प्रश्नगत घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में साक्षी अनुराधा पत्नी हरिसिंह यादव को परीक्षित कराया गया है, जिसने न्यायालयीन साक्ष्य में फरियादी को उसका फूफा और फरियादी की पत्नी सीमा को अपनी बुआ होना व्यक्त किया है, जबकि इसके विपरीत उक्त साक्षी के धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत लेखबद्ध किये गये पूर्व कथन एवं साक्ष्य सूची में उसका नाम अनुराधा मीना पुत्री कदम सिंह मीना अंकित है। तब इस विसंगति को स्पष्ट करने के लिए अन्वेषण अधिकारी अशोक कुमार (अ.सा.5) से प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रश्न पूछे जाने पर उसने विवेचना के दौरान अनुराधा पुत्री कदमसिंह मीना के कथन लिया जाना अभिकथित करते हुये अनुराधा पुत्री हरिसिंह यादव के कथन लिये जाने से इंकार किया है। उक्त साक्षी के कथनों के विपरीत साक्षी अनुराधा (अ.सा.2) ने व्यक्त किया है कि इस प्रकरण में पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही वह थाने पर गई थी। साक्षी सीमाबाई ने भी व्यक्त किया है कि उसने पुलिस को कभी बयान नहीं दिये थे। तब अभियोजन साक्षीगण के कथनों में प्रकट हुई विसंगति से अन्वेषण कार्यवाही दूषित होना दर्शित होती है।

17. फरियादी कदम सिंह मीना (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार किया है कि घटनास्थल के आसपास लक्ष्मीनारायण मीना, सरवन मीना और अशोक मीना के घर हैं, किन्तु उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रश्नगत घटना के समय लक्ष्मीनारायण, सरवन एवं अशोक मीना के घर पर कोई मौजूद था अथवा नहीं। फिर यह कथन किया है कि वह लोग झगड़ा देख रहे थे और उसने पुलिस को उक्त साक्षीगण के नाम बता दिये थे। किन्तु पुनः उक्त साक्षी ने अपने कथनों में सुधार करते हुये व्यक्त किया कि उसने उपरोक्त किसी भी साक्षी के नाम पुलिस को नहीं बताये थे, केवल अपने घर के लोगों अर्थात अनुराधा एवं सीमा के नाम बताये थे। अन्वेषण अधिकारी अशोक कुमार (अ.सा.5) ने अन्वेषण के दौरान घटनास्थल के आसपास के किसी साक्षी के कथन लिये हो अथवा लेने का प्रयास किया हो, ऐसा व्यक्त नहीं किया है। जबकि घटना दिन के लगभग 12:00 बजे की है तथा घटनास्थल के आसपास अन्य व्यक्तियों के मकान भी स्थित हैं, तब ऐसे किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया जाना भी अभियोजन के मामले पर संदेह उत्पन्न करता है।

18. जहां तक कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–294 एवं 506 भाग–2 भा.दं.सं. के अंतर्गत विचाराधीन आरोप का प्रश्न है, तत्संबंध में फरियादी कदमसिंह अथवा अन्य किसी चक्षुदर्शी साक्षी ने अपने कथनों में यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा

फरियादी को विशिष्टतः कौन–से शब्द उच्चारित किये गए थे, जिसके अभाव मे यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि उच्चारित शब्दों की प्रकृति अश्लील थी अथवा नहीं। अभिलेख पर इस बिन्दु पर भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा गालियॉ उच्चारित किये जाने से फरियादी एवं अन्य सुनने वालों को कोई क्षोभ कारित हुआ था। न्यायदृष्टांत **Sharad Dave and another vs. Mahesh Gupta and others 2005 (4) MPLJ 330** में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि *The utterance of obscene words in or near public place is one of the essential ingredients of s. 294 of the Indian Penal Code. The test of obscenity is whether the tendency of the matter charged as obscene is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences and in whose ears the words may fall. The use of the term 'obscenity' is restricted to sexual immorality. Therefore, the word should be such which excite sexual desires and lascivious thoughts. Only lewd comments can be said to be obscene.*

19. उल्लेखनीय है कि फरियादी कदमसिंह (अ.सा.1) एवं साक्षीगण अनुराधा (अ.सा.2) एवं सीमा (अ.सा.3) ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी कदमसिंह को जान से मारने से की धमकी दिया अभिकथित किया है, किन्तु उनके द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये गये कि अभियुक्तगण ने कथित रूप से दी गई धमकी के क्रियान्वयन हेतु तात्कालिक स्वरूप का ऐसा कोई कृत्य किया था जिससे फरियादी/आहत को युक्तियुक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न हुई हो कि अभियुक्तगण उसे जान से खत्म कर ही देंगे। इस प्रकार प्रश्नगत घटना के समय फरियादी कदमसिंह को किसी प्रकार का कोई संत्रास कारित हुआ हो अथवा भय उत्पन्न हुआ हो, यह परीलक्षित नहीं होता है। ऐसी दशा में यथोचित साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294 एवं 506 भाग–2 भा.दं.सं. का आरोप भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

20– उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा फरियादी की पुत्री एवं उसकी बहन के अतिरिक्त घटनास्थल के आसपास के किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है। वहीं उभयपक्ष के मध्य मेड से निकलने पर विवाद होने का तथ्य भी र्निविवादित है। फरियादी कदमसिंह के कथनों की संपुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंर्तविष्ट तथ्यों एवं मेडिकल साक्ष्य से भी नहीं हुई है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में अनेक विरोधाभास एवं विसंगतियां है जो कि तात्विक प्रकृति की होकर अभियोजन घटना की प्रमाणिकता पर संदेह उत्पन्न करते हैं।

21– विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता। न्यायदृष्टांत **जोगेन्द्र सिहं विरूद्ध हरियाणा राज्य 1974 किमिनल लॉ जनरल 117** मे अवधारित किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध कितना भी प्रबल संदेह हो और न्यायाधीश का कितना भी प्रबल नैतिक विश्वास एवं निश्चय हो परंतु जब तक साक्ष्य एवं अभिलेख की विषय–वस्तु के आधार पर युक्तियुक्त शंका के परे दोषारोपण सिद्ध न होता हो तब तक उसे दंडित नहीं किया जा

सकता। अभियुक्त के विरूद्ध विचाराधीन आरोप साबित किये जाने हेतु संबंधित प्रत्येक आवश्यक तत्व को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। वह परिस्थितियां जिनसे अभियुक्तगण की दोषिता का निष्कर्ष निकाला जा सके, अभियोजन द्वारा पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिये तथा अपराध के तत्वों को सुस्पष्ट एवं असंदिग्ध रूप से साबित किया जाना चाहिये। इससे विपरीत स्थिति होने पर अभियुक्त को संदेह का लाभ प्रदान करना चाहिये। हस्तगत प्रकरण मे अभियोजन अपने मामले को उक्त स्तर तक प्रमाणित करने मे असफल रहा है।

22— अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की उपरोक्त समग्र विवेचना उपरांत अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उन्होंने दिनांक 10.09.2022 को दोपहर लगभग 12.00 बजे ग्राम सांबलपुरा चॉचौडा स्थित फरियादी के घर के सामने फरियादी कदमसिंह मीना को सार्वजनिक स्थल पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे क्षोभ कारित किया, फरियादी कदमसिंह मीना की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी कदमसिंह मीना की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण तखतसिंह मीना एवं बृजकिशोर मीना को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग 2 के आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है।

23— अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति एवं व्यक्तिगत बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे श्रुतलेख पर टंकित किया गया।

सही/—
(श्रीमती आकांक्षा कत्याल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चॉचौडा, जिला गुना (म.प्र.)

सही/—
(श्रीमती आकांक्षा कत्याल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चॉचौडा, जिला गुना (म.प्र.)